रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08052025-262978
CG-DL-W-08052025-262978

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 08] नई दिल्ली, अप्रैल 27—मई 3, 2025, शनिवार/वैशाख 7—वैशाख 13, 1947
No. 08] NEW DELHI, APRIL 27—MAY 3, 2025, SATURDAY/VAISAKHA 7– VAISAKHA 13, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.नि.आ. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वायुसेना समूह 'ग' एवं समूह 'घ' औद्योगिक पद भर्ती नियम, 1990 को, जहां तक उनका संबंध भट्टी वाला (अर्धकुशल), गोलाबारूद कर्तव्य पर श्रमिक (अर्धकुशल), मशीन परिचर (अर्धकुशल), तैलिक (अर्धकुशल), मुद्रक (अर्धकुशल), तम्बू मरम्मतकर्ता (अर्धकुशल) और वल्कनी कारक (अर्धकुशल) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय में भट्टी वाला (अर्धकुशल), ट्रेड्समेन मेट (अर्धकुशल), मशीन परिचर (अर्धकुशल), आयलमैन (अर्धकुशल), मुद्रक (अर्धकुशल), तम्बू मरम्मतकर्ता (अर्धकुशल) और वल्कनी कारक (अर्धकुशल) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, औद्योगिक पद, अर्धकुशल श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .–** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .–** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि .–** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता .–** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. भट्टी वाला (अर्धकुशल)।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹ 18000-56900)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(5)	(6)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

	टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय: मान्यताप्राप्त संस्थान में तेल जलित मध्यम तापमान भट्टी और विद्युत उच्च तापमान भट्टी के ज्वलन और प्रवर्तन में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-**जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों । प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है,	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग - अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो जहां प्रोन्नति की जानी है या	लागू नहीं होता।

तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ट्रेड्समेन मेट (अर्धकुशल)।	337* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता ।	18 और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	(क) आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय:ज्वलनशील पदार्थों या गोलाबारूद को चढ़ाने या उतारने में एक वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा ।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : -** 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग – अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. मशीन परिचर (अर्धकुशल)।	12* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय: मशीन परिचर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग - अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. आयलमैन (अर्धकुशल)।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय : किसी वैद्युत कार्यशाला में मोटरों, जनित्रों और ट्रांसफार्मरों की साधारण सर्विस का एक वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग - अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
5. मुद्रक (अर्धकुशल)।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय : किसी मुद्रणालय में मुद्रक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.-** जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : -** 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग – अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. तम्बू मरम्मतकर्ता (अर्धकुशल)।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय : दर्जी के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण 2.- रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग – अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन प्रशासन -सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
7. वल्कनी कारक (अर्धकुशल)।	103* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', औद्योगिक, अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18000-56900)।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1.-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उप-खंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2.-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समुचित व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम; या (ख) सुसंगत व्यवसाय से भूतपूर्व सैनिक। (ग) वांछनीय : वल्कनी कारक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है, परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आरम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए) द्वारा इन दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
आमेलनः रक्षा सेवाओं के निम्नतर विरचनाओं में सदृश, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में सेवारत व्यक्ति और स्तंभ (7) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताएँ रखते हों। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (भूतपूर्व सैनिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएँ है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : - 1. एअर-ऑफिसर-कमांडिंग या ऑफिसर कमांडिग - अध्यक्ष; 2. प्रभारी अधिकारी सिविलियन (प्रशासन) - सदस्य; 3. कमीशन प्राप्त अधिकारी जो उस अनुभाग से संबंधित न हो, जहां प्रोन्नति की जानी है या सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (प्रशासन) या फोरमैन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. वा. से. मु. /23049/ आर आर/आई एन डी/अर्धकुशल/पी सी-आर आर और खेलकूद/ /र. (नि.)]

ए. पि. हरिनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2025

S.R.O. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Air Force Group 'C' and Group 'D' Industrial posts Recruitment Rules, 1990, in so far as they relate to the posts of Furnace man (Semi-Skilled), Labourer on Ammunition Duties (Semi-Skilled), Machine Attendant (Semi-Skilled), Oilman (Semi-Skilled), Printer (Semi-Skilled), Tent Repairer (Semi-Skilled) and Vulcaniser (Semi-Skilled), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Furnaceman (Semi-Skilled), Tradesman Mate (Semi-Skilled), Machine Attendant (Semi-Skilled), Oilman (Semi-Skilled), Printer (Semi-Skilled), Tent Repairer (Semi-Skilled) and Vulcaniser (Semi-Skilled) in the Indian Air Force, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Indian Air Force, Industrial Posts, Semi-Skilled Grade (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application. —**These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, Classification and level in pay matrix. —**The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified incolumns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.- No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Furnaceman (Semi-Skilled).	01 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-** In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(a) Essential: (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) certificate from a recognised Industrial Training Institute in the relevant trade; or (b) Ex-servicemen from appropriate trade. (c) Desirable: One year practical experience in a reputed firm on lighting and operation of Oil fired Medium Temperature furnace and Electric High Temperature Furnace.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualifications and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian (Administration) - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Tradesman Mate (Semi-Skilled).	337* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(a) Essential: 10^{th} class pass from a recognised Board; or (b) Ex - servicemen from appropriate trade. (c) Desirable: One year experience of loading or unloading of explosives or ammunitions.

Note 2.- In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding (Administration) - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Machine Attendant (Semi-Skilled).	12 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	(a) Essential: (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) Certificate from a recognised Industrial Training Institute in the relevant trade; or (b) Ex-servicemen from	Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note.-** There shall be a mandatory induction

Note 1.-The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-**In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	appropriate trade. (c) Desirable: One year experience as a Machine Attendant.		training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian Administration - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Oilman (Semi-Skilled).	02 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-**In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(a) Essential: (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) Certificate from a recognised Industrial Training Institute in the relevant trade; or (b) Ex - servicemen from appropriate trade. (c) Desirable: One year experience in an Electrical Work-shop on simple servicing of motors, generators and transformers.	Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian Administration - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

	Note 3.-The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Printer (Semi-Skilled).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-** In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(a) Essential: (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) Certificate from a recognised Industrial Training Institute in the relevant trade; or (b) Ex - servicemen from appropriate trade. (c) Desirable: One year experience as a Printer in a Printing Press.	Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. Note.- There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption: Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian (Administration) - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted Officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

	on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-**The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Tent Repairer (Semi-Skilled).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-** In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(a) Essential: (i) 10^{th} class pass from a recognised Board; and (ii) Certificate from a recognised Industrial Training Institute in the relevant trade; or (b) Ex-servicemen from appropriate trade. (c) Desirable: One year experience as a Tailor	Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note1**.- The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian Administration - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Vulcaniser (Semi-Skilled).	103* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Industrial, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the	(a) Essential: 10th class pass from a recognised Board; or (b) Ex-Servicemen from appropriate trade.	Not applicable.	Two years for direct recruits and Ex-servicemen. **Note:**There shall be amandatory indu-

Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1.-**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2.-**In the case of recruitment made through employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(b) Desirable: One year experience as a Vulcaniser.		ction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
By absorption, failing which by deputation or re-employment (for Ex-servicemen) failing both by direct recruitment.	Absorption**:** Persons serving in similar, equivalent or in higher grade in the lower formations of Defence Services and possessing qualification and experience as specified under column (7). Deputation or re-employment (for Ex-servicemen): The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter, they may be continued on re-employment. **Note 1.-** The departmental candidates who are in the feeder category will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Air – Officer -Commanding or Officer Commanding - Chairman; 2. Officer – in - Charge Civilian Administration - Member; 3. Commissioned Officer not related with the section where confirmations are to be made or Civilian Gazetted officer (Administration) or Foreman - Member.	Not applicable.

	including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

[F. No. Air HQ/23049/RR/Ind/Semi-Skilled/PC-RRs & Sports/ /D (Apptts)]

M.P. HARINARAYAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और तटरक्षक (वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी और सिविलियन स्टाफ अधिकारी) समूह "क" पद भर्ती नियम 2011; और रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक अनुभाग अधिकारी एवं सहायक ग्रुप "ख" पद भर्ती नियम 2013 की, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया हो, रक्षा मंत्रालय के तटरक्षक संगठन में निदेशक, वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, सिविलियन स्टाफ अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक सिविलियन अनुसचिवीय संवर्ग (समूह "क" और "ख") पर भर्ती नियम, 2025 है।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **लागू होना** :- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल** :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों में संलग्न उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** :- कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :-

परंतु कि केंद्रीय सरकार, यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें अभिलिखित करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :-इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निदेशक	04* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13 (रु 123100-215900)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : (रु.78800-209200 रुपए) में स्तर -12 में वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई) या किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रबंधन विकास कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :-**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं :- (1) अध्यक्ष/सदस्य- संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (भारतीय तटरक्षक के प्रभारी), रक्षा मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं

	अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(3) उप महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या गैर-चयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी	12* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 12 (रु. 78800-209200)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं**	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत के मामले में लागू होंगी।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : (रु.67700-208700 रुपए) में स्तर -11 में सिविलियन स्टाफ अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सचिवीय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान या रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से छह सप्ताह का "वृत्तिक विकास कार्यक्रम" सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ अधिकारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्त :- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश	सूमह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं :- (1) अध्यक्ष/सदस्य- संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव (भारतीय तटरक्षक के प्रभारी), रक्षा मंत्रालय – सदस्य (3) उप महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

	पद धारण किए हों या ; (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.67700-208700) या समकक्ष के स्तर – 11 में नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा ; (ख) प्रशासन/स्थापना/लेखा मामलों में कुल दस वर्ष का अनुभव। **टिप्पण :- 1.** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-कैडर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सिविलियन स्टाफ अधिकारी	35* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारणतया केंद्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (रु. 67700-208700)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु.47600-151100 रुपए) के स्तर -8 में अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सचिवीय प्रशिक्षण संस्थान या रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से दो से चार सप्ताह का "विन्यास पाठ्यक्रम" सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :-1**. इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (रु. 47600-151100 रुपए) में अनुभाग अधिकारी का पद धारण करने	सूमह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं :- (1) अध्यक्ष/सदस्य- संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा सात वर्ष बनी रहेगी। **टिप्पण 2 :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु उन्होंने अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या ; (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 56100-177500) या समकक्ष के स्तर – 10 में नियमित आधार पर नियुक्त के बाद उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा ; (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 53100-167800) या समकक्ष में स्तर – 9 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो: (iv) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 47600-151100) या समकक्ष में स्तर – 8 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो: तथा (ख) प्रशासन/स्थापना/लेखा मामलों में कुल पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-कैडर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(2) संयुक्त सचिव (भारतीय तटरक्षक के प्रभारी), रक्षा मंत्रालय – सदस्य (3) उप महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:- (1) अपर महानिदेशक तटरक्षक – अध्यक्ष (2) उपमहानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य (3) प्रधान निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुभाग अधिकारी	70* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख", राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (रु. 47600-151100) टिप्पण- अकृत्यिक : श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर –10 (56100-177500 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 10 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु.35400-112400 रुपए) के स्तर -6 में सहायक, जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर उस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से तीन सप्ताह का "अभिविन्यास पाठ्यक्रम" सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या ; (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर –7 में नियमित आधार पर नियुक्त के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा ; (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल–6 में नियमित आधार पर नियुक्त के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और ; (ख) प्रशासन/स्थापना/लेखा मामलों में कुल तीन वर्ष का अनुभव।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:- (1) संयुक्त सचिव (भारतीय तटरक्षक के प्रभारी) – अध्यक्ष (2) निदेशक/उप सचिव (भारतीय तटरक्षक के प्रभारी), रक्षा मंत्रालय – सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य (4) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

	टिप्पण 1 : गैर वित्तीय चयन श्रेणी (एनएफएसजी) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है, जब तक कि उन्हें मूल काडर या विभाग में एनएफएसजी न मिल गया हो या प्रदान न किया गया हो। **टिप्पण 2:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-कैडर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक	92* (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (रु. 35400-112400)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक की डिग्री। **टिप्पण 1:** अन्यथा योग्य अभ्यर्थियों के मामलें में, अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलें में, अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से शिथिल की जा सकती है, यदि चयन के किसी भी स्तर पर, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए	नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

	अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। ।		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 45 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित सीधी भर्ती से । (ii) 55 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : तटरक्षक संगठन में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु. 25500-81100 रुपए) में उच्च श्रेणी लिपिक, जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में नियमित आधार पर दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से 03 सप्ताह का "अभिविन्यास पाठ्यक्रम" सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारी :- (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या ; (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300 रुपए) में स्तर–5 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या ; (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500-81100) में स्तर–4 के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और ; (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्तंभ (7) में दी गई डिग्री के अधीन सीधे भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है:- (1) उपमहानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य (2) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य (4) अवर सचिव (तटरक्षक)/रक्षा मंत्रालय – सदस्य समूह "ख" विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें शामिल हैं : (1) उपमहानिदेशक (मानव संसाधन विकास), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य (2) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

	संगठन/विभाग में धारित किसी अन्य बाह्य-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 10(7)/2020-डी (सीजी)]

अलका आहूजा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2025

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard (Senior Civilian Staff Officer and Civilian Staff Officer) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2011; and the Ministry of Defence, Coast Guard Section Officer and Assistant Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Senior Civilian Staff Officer, Civilian Staff Officer, Section Officer and Assistant in the Coast Guard Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Civilian Ministerial Cadre (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts as specified in the column (1) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix. -** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Director.	04*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	(i) Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By promotion.	Promotion: Senior Civilian Staff Officer in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training or course in management development programme or course from Institute of Secretarial Training and Management or Defence Headquarters Training Institute or any other Government recognised training institute. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member-Union Public Service Commission -Chairman; (2) Joint Secretary (In-charge of Indian Coast Guard), Ministry of Defence - Member; (3) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Senior Civilian Staff Officer.	12*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Selection.

(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion, failing which by deputation.	Promotion: Civilian Staff Officer in level-11 in pay matrix (Rs. 67700-208700) with five years regular service in the grade and having successfully completed six weeks 'Professional Development Programme' from Institute of Secretariat Training and Management or Defence Headquarters Training Institute or any other Government training institute. **Note.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officer of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing ten years experience in administration/establishment/accounts matters. **Note 1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Group `À' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Chairman or Member Union Public Service Commission– Chairman; (2) Joint Secretary (In-charge of Indian Coast Guard), Ministry of Defence – Member; (3) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Civilian Staff Officer.	35* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	(ii) Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Ninety per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) Ten per cent. by deputation.	Promotion: Section Officers in level-8 in pay matrix (Rs. 47600-151100) with eight years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks 'Orientation Course' from Institute of Secretariat Training and Management or Defence Headquarters Training Institute or any other Government training institute. **Note 1.-**The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the post of Section Officer in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 in pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 in pay matrix (Rs. 47600- 151100) or equivalent in the parent cadre or department; and	Group `À' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Chairman or Member Union Public Service Commission – Chairman; (2) Joint Secretary (In-charge of Indian Coast Guard), Ministry of Defence – Member; (3) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters - Member. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Additional Director General Coast Guard –Chairman; (2) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters - Member; (3) Principal Director (Personnel), Coast Guard Headquarters - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on promotion.

	(b) possessing five years experience in administration/ establishment/ accounts matters. **Note 1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Section Officer.	70*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100). **Note.-** Non functional Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) on completion of four years of regular service in the grade.	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Ninety per cent. by promotion, failing which by deputation; and (ii) Ten per cent by deputation.	Promotion: Assistants in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with six years regular service in the grade and having successfully completed three weeks 'Orientation Course' from Institute of Secretariat Training and Management or Defence Headquarters Training Institute or any other Government training institute. **Note.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Joint Secretary (In-charge of Indian Coast Guard) - Chairman; (2) Director or Deputy Secretary (In-charge of Indian Coast Guard), Ministry of Defence - Member; (3) Director (Administration), Coast Guard Headquarters - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government, - (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing three years experience in administration/ establishment/ accounts matters. **Note 1.-** Non Financial Selection Grade is not applicable to deputationists unless they draw or granted Non Financial Selection Grade in the parent cadre or department. **Note 2.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.-**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	(4) Director (Personnel), Coast Guard Headquarters - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant.	92 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years of age (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government).	Essential: Bachelor Degree from a recognised university or recognised institute. **Note 1.-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent	No	Two years for both direct recruits and promotees. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of

Note.-The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-**The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) forty-five per cent. by direct recruitment conducted by the Staff Selection Commission; and (ii) fifty-five per cent. by promotion, failing which by deputation.	Promotion: Upper Division Clerk of Coast Guard Organisation in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks 'Orientation Course' from Institute of Secretariat Training and Management or Defence Headquarters Training Institute or any other Government training institute. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government; (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 in pay	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters- Chairman; (2) Director (Personnel), Coast Guard Headquarters- Member; (3) Director (Administration), Coast Guard Headquarters - Member; (4) Under Secretary (Coast Guard)/ Ministry of Defence - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : (1) Deputy Director General (Human Resource Development), Coast Guard Headquarters- Chairman; (2) Director (Personnel), Coast Guard Headquarters- Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	(3) Director (Administration), Coast Guard Headquarters - Member.	

[F. No. 10(7)/2020-D(CG)]

ALKA AHUJA, Director

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025

का.नि.आ. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), (आशुलिपिक श्रेणी-III) समूह "ग " पद भर्ती नियम 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) में (आशुलिपिक श्रेणी-II) समूह "ग ", के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), (आशुलिपिक श्रेणी-II) समूह "ग ", पद भर्ती नियम 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाब्द्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ।

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा -:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(5) **शिथिल करने की शक्ति :-**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

(6) **व्यावृति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यता ।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
आशुलिपिक श्रेणी- II	20* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय ।	स्तर-4 में वेतन मैट्रिक्स (रू25500 - 81100)।	लागू नहीं होता ।	18 से 27 के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती हैं ।) **टिप्पण -:** आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिले के	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से12 वी कक्षा पास । (ख) कुशलता परीक्षण मान: (i) श्रुतलेख- 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से (अंग्रेजी/ हिन्दी) । (ii) अनुलिपिकरण - 50 मिनट(अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी) कम्प्युटर पर ।

					पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे** **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष । **टिप्पण-** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा ।	सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण**-पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ। (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हुए हैं और (ख) जिनके पास स्तम्भ) 7 (पर सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं ।	लागू नहीं होता ।	समूह "ग " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1-उप महानिदेशक या निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)-अध्यक्ष । 2- संयुक्त निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)- सदस्य । 3- उप निदेशक (कार्मिक), गुणता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)- सदस्य । 4- उप निदेशक, गुणता आश्वासन निदेशालय (युद्धपोत परियोजना) - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 2348/आर आर /स्टेनो-II/डीक्यूए(एन)/ 255/डी (क्यू ए) /2025)]

ऋतु शर्मा, अवर सचिव

(Department Of Defence Production)

(DIRECTORATE OF QUALITY ASSURANCE (NAVAL)

NOTIFICATION

New Delhi, the16th April, 2025

S.R.O. 14.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), (Stenographer Grade-III) Group 'C', Post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II, in the Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement**.-(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of Quality Assurance (Naval), Stenographer Grade II (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade II.	20* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100).

Whether selection-post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Governments from time to time).	(a) 12th class pass from a recognised Board; (b) the candidate shall be able to,- (i) take Dictation at the rate of

	Note. – The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	eighty words (English or Hindi) per minute for ten minutes; (ii) Transcript English for fifty minutes or Hindi for sixty-five minutes only on computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note.-**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General or Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) – Chairman; 2. Joint Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member; 3. Deputy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) – Member; 4. Deputy Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) – Member .	Not applicable.

[F. No. 2348/RR/Steno-II/DQA(N)/253/D(QA) /2025]

RITU SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.08 13:59:19 +05'30'